

an>

Title: Election of two Members from Lok Sabha to Court of University of Allahabad.

शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान):
अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियमों के परिनियम 8 (2) के साथ पठित परिनियम 8 (1)(इ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के परिनियमों के परिनियम 8 (2) के साथ पठित परिनियम 8 (1)(इ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अध्यधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।